



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
95/2024

तारीख दायर
11/07/2024

तारीख फैसला
02.09.2024

1. कैलाश पुत्र गंगू
 2. जगदीश पुत्र गंगू
 3. हनुमान पुत्र गंगू
 4. गोपाललाल पुत्र रामसहाय
 5. लालचन्द पुत्र रामसहाय
- जातियान माली निवासी खवारानीजी तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

- 1 मांग्या पुत्र झुथा जातियान माली निवासी खवारानीजी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
- 2 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण


उपस्थित अभिभावक

श्री महेश शर्मा :- वकील वादीगण

दावा बाबत हक घोषणा बाबत रिकार्ड दुरुस्तीकरण
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट

:- निर्णय:-


प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता के वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खवारानीजी पटवार हल्का खवारानीजी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 551 रकबा 10 बिस्वा के सेटलमेंट कार्यवाही में खसरा नम्बर 699 रकबा 0.1300 है0, के जरिये तकासमा वर्तमान खसरा नम्बर 1156/699 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 1157/699 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 1158/699 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 1159/699 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 1160/699 रकबा 0.0600 है0 अनुसार कायम किये गये। उक्त वर्णितानुसार खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड व नक्शों में राजस्व विभागीय कार्यवाही एवं उसके बाद सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान पक्षकारों के मौके कब्जे एवं खातेदारी के विपरित राजस्व नक्शों में त्रुटिपूर्ण रिकार्ड व नक्शों में तरमीम होने से आगे विवादित आराजीयात है। वादग्रस्त भूमियों के साबिक खसरा नम्बर 551 रकबा 10 बिस्वा का तकासमा कार्यवाही में खसरा नम्बर 551/1 रकबा 1 बिस्वा, 551/2 रकबा 1 बिस्वा, 551/3 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 551/4 रकबा 1 बिस्वा, 551/5 रकबा 5 बिस्वा अनुसार कायम किया गया, जिसके बाद दौराने सेटलमेंट कार्यवाही में खसरा नम्बर 699 रकबा 0.1300 है0 पश्चात नवीन खसरा नम्बर 1156/699 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 1157/699 रकबा 0.0100 है0, खसरा नम्बर 1158/699 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 1159/699 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 1160/699 रकबा 0.0600 है0 अनुसार कायम किये गये है। जिनके राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शों में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के हक अधिकार बंटवारे एवं हितों के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कर दिया गया। जिससे पक्षकारों के मौके पर कब्जे व राजस्व रिकार्ड में खातेदारी इन्द्राज को लेकर विवाद किया जा रहा है। जिससे उक्त वर्णितानुसार वादग्रस्त वादीगण


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

के राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कराना आवश्यक हुआ है। वादग्रस्त भूमियों के साबिक खसरा नम्बर 551 रकबा 10 बिस्वा में किये गये तकासमा अनुसार एवं साबिक खसरा नम्बर 551/4 रकाब 1 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1156/699 में रकबा 0.0130 है अनुसार किता 2 कुल रकबा 0.0260 है भूमि सम्पूर्ण में एवं खसरा नम्बर 1158/699 रकबा 0.0130 है में हिस्सा 1/2 भाग अनुसार वादीगण 1 लगायत 3 काबिज काश्तकार है तथा साबिक खसरा नम्बर 551/3 रकबा 2 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1157/699 में रकबा 0.0260 है अनुसार भूमि सम्पूर्ण में एवं खसरा नम्बर 1158/699 रकबा 0.0130 है भूमि में हिस्सा 1/2 भाग में वादीगण सं 4 व 5 काबिज काश्तकार है। इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 551/5 रकबा 5 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1160/699 रकबा 0.0650 है में प्रतिवादी सं 1 काबिज काश्तकार है, जिसके अनुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शों कायम करना चाहिए था, लेकिन राजस्व कैम्प के दौरान वादांकित भूमियों के संबंध में तकासम की कार्यवाही एवं उसके बाद सैटलमेंट कार्यवाही में राजस्व रिकार्ड व नक्शों को पक्षकारों के मौके पर कब्जे व अधिकार खातेदारी के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कर दिया गया। जो कि पक्षकारों के मौके पर कब्जे व स्वामित्व सहित रकबा बरारी के विपरित होने से वादांकित भूमियों के राजस्व रिकार्ड व नक्शों दुरुस्तीकरण योग्य है। जिसकी घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी है। वादांकित भूमियों में खसरा नम्बर 1159/699 में रकबा 0.0130 है एवं खसरा नम्बर 1156/699 में रकबा 0.0130 है किता 2 कुल रकबा 0.0260 है भूमि सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1158/699 रकबा 0.0130 है में हिस्सा 1/2 भाग अनुसार वादीगण सं 1 लगायत 3 के हित में तथा खसरा नम्बर 1157/699 में रकबा 0.0260 है सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1158/699 रकाब 0.0130 है में हिस्सा 1/2 भाग अनुसार वादीगण सं 4 व 5 के हित में साबिक रिकार्ड खातेदारी अनुसार कब्जे काश्त में स्थित चली आ रही है एवं खसरा नम्बर 1160/699 रकाब 0.0650 है में प्रतिवादी सं 1 साबिक रिकार्ड अनुसार काबिज काश्तकार है, जो कि वादपत्र के साथ प्रस्तुत व संलग्न नजरी नक्शों अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 वादांकित भूमियों में उक्त वर्णित हक हिस्से रकबे अनुसार मौके पर पुख्ता निर्माण सहित काबिज काश्तकार है, लेकिन राजस्व विभागीय कार्यवाही के दौरान वादांकित भूमियों के संबंध में वादीगण के कब्जे काश्त व हक अधिकारों के विपरित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खतौनी एवं राजस्व नक्शा त्रुटिपूर्ण कायम कर दिया गया, जो कि राजस्व रिकार्ड व नक्शों में मुताबिक रकबा बरारी दुरुस्तीकरण कराने के वादीगण अधिकारी है। अतः वादांकित भूमियों में खसरा नम्बर 1159/699 में रकबा 0.0130 है एवं खसरा नम्बर 1156/699 में रकबा 0.0130 है किता 2 कुल रकबा 0.0260 है भूमि सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1158/699 रकबा 0.0130 है में हिस्सा 1/2 भाग अनुसार वादीगण सं 1 लगायत 3 के हित में तथा खसरा नम्बर 1157/699 में रकबा 0.0260 है सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1158/699 रकाब 0.0130 है में हिस्सा 1/2 भाग अनुसार वादीगण सं 4 व 5 को एवं खसरा नम्बर 1160/699 रकबा 0.0650 है में प्रतिवादी सं 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं मुताबिक रकबा बरारी के राजस्व नक्शों में मुताबिक संलग्न नजरी नक्शों को मध्य नजर रखते हुए तरमीम दुरुस्तीकरण की घोषणा की जावे। तदानुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1156/699 रकबा 0.0100 है, 1157/699 रकबा 0.0100 है, 1158/699 रकबा 0.0300 है, 1159/699 रकबा 0.0200 है, 1160/699 रकबा 0.0600 है के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शों को निरस्त कर दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार को दिया जावे।

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों का तलबी जरिये रजि 0 ए 0 डी 0 से जारी की गई। प्रतिवादी सं 1 ने दिनांक 27.08.24 को स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत निर्णय कर डिक्री हेतु सहमति आदेश 15 नियम 1 सपटित धारा 151 सीपीसी पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया।

अतः वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खवारानीजी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1159/699 में रकबा 0.0130 है एवं खसरा नम्बर 1156/699 में रकबा 0.0130 है किता 2 कुल रकबा 0.0260 है भूमि सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1158/699 रकबा 0.0130 है में हिस्सा 1/2 भाग अनुसार वादीगण सं 1 लगायत 3 के हित में तथा खसरा नम्बर 1157/699 में रकबा 0.0260 है सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1158/699 रकाब 0.0130 है में हिस्सा 1/2 भाग अनुसार वादीगण सं 4 व 5 को एवं खसरा नम्बर 1160/699 रकबा 0.0650 है में प्रतिवादी सं 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं मुताबिक रकबा बरारी के राजस्व नक्शों में मुताबिक संलग्न नजरी नक्शों को मध्य नजर रखते हुए तरमीम दुरुस्तीकरण की घोषणा की जावे। तदानुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1156/699 रकबा 0.0100 है, 1157/699 रकबा 0.0100 है, 1158/699 रकबा 0.0300 है, 1159/699 रकबा 0.0200 है, 1160/699 रकबा 0.0600 है के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शों को निरस्त कर दुरुस्त किया जावे।



 उपखण्ड अधिकारी
 जमवारामगढ जिला-जयपुर

2/3

अतः पत्रावली में उपलब्ध वादीगण के वाद पत्र, प्रतिवादी सं० 1 का सहमति प्रा० पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील वादी की बहस का मनन करने पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खवारानीजी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि में खसरा नम्बर 1159/699 में रकबा 0.0130 है० एवं खसरा नम्बर 1156/699 में रकबा 0.0130 है० किता 2 कुल रकबा 0.0260 है० भूमि सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1158/699 रकबा 0.0130 है० में हिस्सा 1/2 भाग अनुसार वादीगण सं० 1 लगायत 3 के हित में तथा खसरा नम्बर 1157/699 में रकबा 0.0260 है० सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 1158/699 रकबा 0.0130 है० में हिस्सा 1/2 भाग अनुसार वादीगण सं० 4 व 5 को एवं खसरा नम्बर 1160/699 रकबा 0.0650 है० में प्रतिवादी सं० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मुताबिक पूर्व राजीनामें बंटवारे के राजस्व नक्शों में मुताबिक संलग्न नजरी नक्शों को मध्य नजर रखते हुए तरमीम दुरुस्तीकरण की घोषणा की जाती है। तदानुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1156/699 रकबा 0.0100 है०, 1157/699 रकबा 0.0100 है०, 1158/699 रकबा 0.0300 है०, 1159/699 रकबा 0.0200 है०, 1160/699 रकबा 0.0600 है० के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शों को निरस्त कर दुरुस्त किया जावे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 02.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया ।


उपखण्ड अधिकारी
(ललित मेन्ना B.A.S.)
जमवारामगढ जिला
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ